न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 32/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1बेणीगोपाल बंग पुत्र श्यामसुन्दर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी साबु की बारी, काठडियों का चौक, नागौर। फर्म–माहेश्वरी ब्रदर्स, काजियों का चौक, नागौर। 2राजकमल पंचारिया पुत्र किशनलाल पंचारिया निवासी गुंसाई कॉलोनी, आउ, जिला जोधपुर। फर्म–मण्डोर स्पाईसेज एण्ड प्रोपाईटरी फूड प्रोडेक्टस, H-30, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया जोधपुर। 3फर्म–मण्डोर स्पाईसेज एण्ड प्रोपाईटरी फूड प्रोडेक्टस, H-30, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया जोधपुर।

आदेश

दिनांक :09.03.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 22-08-2018 को मैसर्स माहेश्वरी ब्रदर्स, काजियों का चौक, नागौर पर खाद्य पदार्थ वनस्पति (एनर्जी गोल्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1013 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 604/एक्ट/2018/623 दिनांक 30.08.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना वनस्पति (एनर्जी गोल्ड) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त बेणीगोपाल बंग पुत्र श्यामसुन्दर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी साबु की बारी, काठडियों का चौक, नागौर, राजकमल पंचारिया पुत्र किशनलाल पंचारिया निवासी गुंसाई कॉलोनी, आउ जिला जोधपुर तथा फर्म–मण्डोर स्पाईसेज एण्ड प्रोपाईटरी फूड प्रोडेक्टस, H-30, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया जोधपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 29-01-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब दिनांक 25.02.2021 को तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपना जवाब दिनांक 04.03.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से वनस्पति का नमूना लिया। जो सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। मै नही तो निर्माता हूँ व न ही रिपैंकिंग करता हूँ। जिस स्थिति मे माल खरीद करता हूँ वैसा वापस बिक्री करता हूँ। भविष्य में इस तरह की गलती नही करूंगा। इस मुकदमे मे कम से कम जुर्माना कर मुझे दोष मुक्त करने की कृपा करे तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर के द्वारा मैजिक ब्राण्ड (वनस्पति) का सेम्पल लिया गया था। जो नमूना जांच मे सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। जो मेरी फर्म के द्वारा पैकिग किया गया है। जैसी अवस्था मे पैकिंग हेतु प्राप्त किया था। उसी अवस्था मे पैक किया था। हमारी फर्म के द्वारा इसमे किसी भी प्रकार की मिलावट नही की गई है। अब मैने यह कार्य पूर्ण रूप से बंद भी कर दिया है। भूलवश हुई इस गलती / जुर्म को मै स्वीकार करता हूँ। कृपया लोक अदालत की भावना से इस प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करे।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 604/एक्ट/2018/623 दिनांक 30.08.2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ वनस्पति (एनर्जी गोल्ड) का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 बेणीगोपाल बंग पुत्र श्यामसुन्दर माहेश्वरी जाति माहेश्वरी निवासी काठडियों का चौक, साबु की बारी, नागौर पर रूपये 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये एवं अप्रार्थी सं. 2 राजकमल पंचारिया पुत्र किशनलाल पंचारिया निवासी गुंसाई कॉलोनी, आउ जिला जोधपुर तथा अप्रार्थी सं. 3 फर्म–मण्डोर स्पाईसेज एण्ड प्रोपाईटरी फूड प्रोडेक्टस, H-30, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मथानिया जोधपुर पर संयुक्त रूप से 35,000/– अक्षरे रूपये पैंतीस हजार कुल रूपये 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर